न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 41/2019 निर्णय दिनांक 25.10.2019

मालसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपुरोहित निवासी भोजास तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

————प्रार्थी

बनाम

1. पुष्पादेवी पत्नी चन्द्रशेखर पुरोहित निवासी बी/17 दीनदयाल नगर रतलाम (मध्यप्रदेश) 2 चन्दा पत्नी ठाकुरमल प्रजापति निवासी बिग्गा बावस, श्री डूँगरगढ 3. बृजी देवी पत्नी भीवसिंह पुरोहित निवासी भोजास हाल बिग्गा बास, श्री डूँगरगढ 4 जेठीदेवी पत्नी गोरधनसिंह पुरोहित निवासी भोजास हाल सी/396 करणीनगर लालगढ बीकानेर 5 स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ

————अप्रार्थीगण

उपस्थिति–

1. श्री मोहनलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से ।
2. श्री भरतसिंह, श्री कैलाश सारस्वत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की तरफ से ।

वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र मालसिंह ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि वादगत खेत खसरा नम्बर 19 तादादी 6.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 223 तादादी 14.78 हैक्टयर, खसरा नम्बर 84 तादादी 1.97 हैक्टयर, खसरा नम्बर 85 तादादी 6.52 हैक्टयर व खसरा नम्बर 88 तादादी 6.58 हैक्टयरवाके रोही भोजास तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर की रिकार्डेड खातेदारी भंवरी बाई पत्नी स्व धूडाराम जाति पुरोहित निवासी भोजास 1/2 हिस्सा की खातेंदार व 1/2 हिस्सा की खातेदारी भगवतीलाल पुत्र हेमराज पुरोहित निवासी भोजास के नाम से रही है । भगवती लाल एक नशा करने वाला व्यक्ति है, जो गांजा व नशेली पदार्थो का सेवन करने वाला व्यक्ति है व भगवतीलाल गांव कमढी जिला रतलाम अपनी भुआ के बेटे रामसिंह के साथ रहता आया है, रामसिंह का देहान्त हो चुका है अब भगवतीलाल रामसिंह के पुत्रों साथ रहता आया है । वादगत खेतों पर स्थिति भंवरी बाई ने अपने सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 28.12.1998 के अनुसार प्रार्थी को वसीयत कर दी । भंवरीबाई का देहान्त हो चुका है और वसीयत प्रभावशाली हो गई है । वसीयतनामा के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में वादगत खेतों की 1/2 हिस्सा भूमि के संबंध में इन्तकाल की कार्यवाही तहसीलदार श्री डूँगरगढ के कार्यालय में विचाराधीन है । इसी दौरान अप्रार्थी पुष्पादेवी ने एक एक रेवेन्यु दावा इसी न्यायालय में पुष्पादेवी बनाम मालसिंह प्रस्तुत कर दिया जिसमें यथास्थिति का आदेश पारित किया गया, तत्पश्चात अप्रार्थी पुष्पादेवी ने एक दावा वादगत खेतों के वसीयतनामा के संबंध में न्यायालय अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश महोदय संख्या 2 कैम्प श्री डूंगरगढ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें पुष्पादेवी स्वयं ने यह स्वीकार किया कि वादगत खेतों पर कब्जा प्रार्थी का चला आ रहा है और वादगत खेतों का कब्जा अप्रार्थी पुष्पादेवी को दिलाया जावे । अप्रार्थी पुष्पादेवी ने सिविल दावा में एक

उपखण्ड अधिकारी डूंगरगढ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें श्रीमान एडीजे ने दोनों पक्षों को सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी पत्रावली में वादगत खेतों की भूमि के संबंध में यह आदेश पारित किया कि उभय पक्ष ताफैसल मूल वाद वादग्रस्त सम्पति को मौका रिकार्ड यथास्थिति बनाये रखे । वादगत सम्पति को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं करें । वादगत खेतों पर कब्जा काश्त व कब्जा प्रार्थी का चला आ रहा है । सिविल दावा में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है । इन वादगत खेतों पर भगवतीलाल पीढियों में प्रार्थी का काका का बेटा भाई लगता है । भगवतीलाल का कभी भी इन वादगत खेतों पर कब्जा काश्त नहींरहा । कब्जा काश्त प्रार्थी का ही चला आ रहा है । वादगत खेतों के संबंध में मौके पर अभी तक कोई विभाजन नहीं हुआ है । मौके पर कब्जा काश्त वादी का चला आ रहा है । रेवेन्यु रिकार्ड में व मौके पर इन खेतों का कोई हिस्सा पांती व विभाजन नहीं हुआ है । जमाबंदी में वादगत खेतों के संबंध में न्यायालय का स्टे का नोट लगता हुआ है, फिर भी उप पंजीयक महोदय से मिली भगत करते हुये अप्रार्थी ने आपस में षडयंत्र करते हुये इन वादगत खेतों की भूमि का विक्रय पत्र अपने पक्ष में संपादित कराया है, जो खिलाफ कानून व गैर कानूनी है । वादगत खेतों पर ना तो कभी विक्रेता का कब्जाा रहा व नाही वर्तमान में क्रेता का है । दिनांक 12.6.2019 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि वो जबरदस्ती इन वादगत खेतों की भूमि पर कब्जा करेंगे, अपनी मनमर्जी से खेतों की भूमि को अच्छी से अच्छी देखकर कब्जा करेंगे, नजदीक आ गये तो जानसे मारे बिना नहीं छोडेगें । अप्रार्थीगण अजनबी व्यक्ति है, अभी तक वादगत खेतों का विधिवत रूप से व कानूनी रूप से मौके पर कोई विभाजन नही किया हुआ है, बिना विभाजन किए अप्रार्थीगण किसी भी तरह से वादगत भूमि पर जबरदस्ती काबिज नहीं हो सकते । प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में अगर अप्रार्थीगण जबरदस्ती वादगत खेतों की भूमि पर कब्जा करने व काश्त करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को असुविधा होगी व अपूर्त्यक क्षति होगी और वाद बाहुलता बढेगी व मौका स्थिति में परिवर्तन की संभावना रहेगी । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो वादगत खेतों का कानूनी रूप से विभाजन करवाये बिना किसी भी प्रकार से वादगत खेतों में प्रवेश नहीं करे, कब्जा नही करे, मौका स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे ना प्रार्थी के वादगत भूमि के संबंध में कब्जा उपयोग में दखलअंदाजी पैदा करे तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पडता है । अप्रार्थीगण तादावा फैसला मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया है । अप्रार्थीगण की तरफ से जबाब मय काउण्टर क्लेम पेश हुआ कि प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये खसरा नम्बर के पूर्व में काश्तकार भगवतीलाल व भंवरीबाई थे । अब वर्तमान में खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व भंवरी बाई के नाम दर्ज है । भगवतीलाल पर यह तमाम अनर्गल इल्जाम लगाये गये है । जिस वसीयत का हवाला दिया गया है, उक्त वसीयत के क्रियान्वयन पर रोक लगी हुई है । जिसका मुकदमा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी पर किया हुआ है । पुष्पादेवी द्वारा रेवेन्यू व सिविल न्यायालय में प्रार्थना करना स्वीकार है परन्तु पुष्पादेवी ने सम्पूर्ण खेत अर्थात भगवतीलाल व भंवरी देवी के बारे में कहीं यह दर्ज

Scanned by CamScanner

नहीं किया । पुष्पादेवी द्वारा केवल मात्र अपनी माता अर्थात भंवरीदेवी के हिस्से की बाबत दर्ज किया गया कि उसके हिस्से पर मालसिंह का कब्जा है । माननीय अपर जिला न्यायाधीश श्री डूँगरगढ द्वारा भी केवल मात्र भंवरी बाई के हिस्से की भूमि तक ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की गई । भगवतीलाल के हिस्से की भूमि कभी विवादित रही ही नहीं तो उसके बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । भगवतीलाल के हिस्से की भूमि पर अप्रार्थीगणों का कब्जा काश्त है । भगवतीलाल व मालसिंह में कोई संबंध नहीं है । भगवतीलाल से भूमि क्रय करने के बाद दिनांक 30.4.2019 से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का कब्जा काश्त है । अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने भगवतीलाल से सीमा ज्ञान करवाकर अपने पोल पट्टियां लगवाये हुए है । भगवतीलाल की भूमि पर कोई स्टे किसी भी न्यायालय का नहीं है । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने जान बूझकर बार बार अपने प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य लिखे है । प्रार्थी द्वारा एक लोक सेवक के विरूद्ध झूठे आरोप लगाये है । विक्रय पत्र कानून अनुसार हुआ है । अप्रार्थीगण विक्रय पत्र की दिनांक से ही कब्जा काश्त में है । अब प्रार्थना पत्र मालसिंह झूठे आधारों पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को भूमि से बेदखल करने पर उतारू है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है । कौन सा अप्रार्थीगण लडाईखोर व बदमाश प्रवृति का है इसका कोई हवाला प्रार्थना पत्र में नहीं है । अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 महिलाएं है और प्रार्थी स्वयं झूठे आधारों पर मौजूदा मुकदमे की आड में उनको बेदखल करना चाहता है । प्रार्थी कोई खातेदार नहीं है न ही उसके नाम कोाई खातेदारी है । प्रार्थी को कोई लोक्स स्टेण्डाई नहीं है । अप्रार्थीगण अपनी खरीदशुदा भूमि पर खरीद के समय से ही काबिज है । उनकी खरीदशुदा भूमि पर पट्टियां रोपी हुई है । प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है ना ही सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है । अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा पूरा प्रतिफल देकर खातेदार श्री भगवतीलाल से दिनांक 30.4.2019 को उसके हिस्से की भूमि का विक्रय पत्र अपने नाम से करवाया । उक्त विक्रय पत्र सब रजिस्ट्रार श्री डूंगरगढ में पजीबद्ध है जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 573 में पृष्ठ संख्या 150 के क्रम संख्या 201903375101749 पर पंजीबद्ध है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1802 के पृष्ठ संख्या 149 से 161 पर चस्पा है । उक्त कव्रय पत्र के पश्चात तमाम अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण भी हो चुका है । इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 से 4 खसरा नम्बर 19,223,84,85,88 के रिकार्डेड खातेदार है । विक्रय पत्र की दिनांक से ही उपरोक्त खसरा नम्बर की आधी भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का कब्जा काश्त है और उस दिनांक से ही अप्रार्थी संख्या 1 से 4 उक्त भूमि पर काश्त कर रहे है । मालसिंह एक शातिर प्रवृति का व्यक्ति है जिसके द्वारा उपरोक्त खसरों की आधी हिस्सेदार भंवरीदेवी कर एक फर्जी वसीयत के द्वारा अपने आपको भंवरीबाई के भूमि का मालिक होना जाहिर किया जाने लगा । तब अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी माता भंवरी बाई के हिस्से की भूमि बाबत मालसिंह के विरूद्ध मुकदमा रेवेन्यू अदालत व न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश श्री डूँगरगढ में मुकदमा किया हुआ है । जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रार्थी के विरूद्ध भंवरीबाई के हिस्से की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है । भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पक्ष में होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अपनी क्रय की गई भूमि पर कब्जा काश्त में है प्रार्थी मालसिंह उसका पुत्र

Scanned by CamScanner

मुकेश व तीन चार अन्य लोग दिनांक 14.6.2019 को भूमि पर आये और अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से मुकर्रर श्री शिवसिंह पुत्र बरजीदेवी व भींवसिंह से झगडा करने लगे कुछ पट्टियां उखाड दी व कुछ तोड दी तथा उससे धक्का मुक्की की जिससे उसकी जेब से 3000 रूपये गिर गये जो भी वादी मालसिंह ने उठा लिये व जाते जाते कह गये कि वे भूमि पर कब्जा कर लेंगे । प्रार्थी ने भगवतीलाल को पक्षकार नहीं बनाया है इस वजह से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य नहीं है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उप पंजीयक का हवाला दिया है परन्तु उप पंजीयक को भी वाद में पक्षकार नहीं बनाया है । वादी द्वारा विक्रय पत्र निरस्ती का कोई वाद नहीं किया गया है । अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की भूमि पर प्रार्थी मालसिंह का कोई कब्जा ही नहीं है तो कब्जे के अभाव में भी चिरनिषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं है । अतः जबाब मय काउण्टरक्लेम पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाकर प्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह अप्रार्थीगण की भूमि वाके ग्राम भोजास पटवार हल्का पुन्दलसर भू अभिलेख निरीक्षक उपनी तहसील श्री डूंगरगढ जिला बीकानेर के खातो संख्या नया 86 खाता संख्या पुराना 84 के खसरा नम्बर 19 के भूमि 6.0900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 223 के भूमि 14.7800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 84 की भूमि 1.9780 हैक्टयर, खसरा नम्बर 85 की भूमि 6. 5800 हैक्टयर की आराजी भूमि जो पोल से डिमार्केशन की हुई है में प्रार्थी किसी प्रकार की कोई दस्तदांजी न करें, न अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के उपयोग उपभोग में कोई बाधा पहुंचावे, न अप्राथी संख्या 1 से 4 के कब्जा काश्त में कोई हस्तक्षेप करे न कोई यऐसा कृत्य करे जिससे अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा पडती हो या पडने का अन्देशा हों ।

प्रार्थी ने उक्त काउण्टर क्लेम का जबाब पेश कर निवेदन किया कि भगवतीलाल एक भोला भाला व्यक्ति है, जो कुंवारा है जो शादि सुदा व्यक्ति नहीं है जिसके कोई औलाद नहीं है, जो मानसिक रूप से भी स्वस्थ व्यक्ति नहीं है, कानूनी रूप से स्वस्थ बुद्धि से विक्रय पत्र नहीं हुआ, भगवतीलाल को बहकावे में लेकर उसके हस्ताक्षर विक्रय पत्र पर कराये होंगे । भगवतीलाल मध्यप्रदेश में रहता है, गांव भोजास में नहीं रहता, जो नामान्तरकरण हुआ है, वह गैर कानूनी रूप से हुआ है, जिसकी अपील की हुई है । अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का कोई कब्जा काश्त वादगत खेतों पर नहीं है, ना ही था, ना ही हो सकता है । अप्रार्थीगण स्वयं भी बिना विभाजन करवाये वादगत खेतों की भूमि में प्रवेश नही कर सकते । कौन सी भूमि पर व कौन सी दिशा की भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है, इस संबंध में कोई वर्णन अप्रार्थीगण ने अपने इस काउण्टर क्लेम के प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया है । इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण का काई कब्जा काश्त खेतों पर नहीं है । अप्रार्थीगण अजनबी व्यक्ति है, कोई कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का नहीं है, झूठे तथ्य अप्रार्थीगण ने अंकित किये है । वसीयत भंवरीबाई ने कानूनन सही कराई है, जो रजिस्टर्ड वसीयत है । अप्रार्थीनी पुष्पादेवी फर्जी रूप से भंवरी बाई की पुत्री बनना चाहती है, जबकि भंवरी बाई की कोईसंतान ही नहीं थी, पुष्पादेवी के पिता का नाम रामगोपाल है और माता का नाम हंसकंवर है । न्यायालय श्रीमान एडीजे संख्या 2 बीकानेर कैम्प कोर्ट श्री डूँगरगढ में वादगत खेतों के संबंध में उभय पक्षों को मौका व रिकार्ड की

Scanned by CamScanner

यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द कर रखा है, न्यायालय के आदेश की पालना करने के लिये सभी व्यक्ति बाध्य है । वादगत खेतों की भूमि के संबंध में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते । अगर कोई व्यक्ति वादगत खेतों की भूमि में परिवर्तन करता है, तो वह परिवर्तन पूरे खेत में परिवर्तन माना होता है, क्योंकि खेतों का कोई विभाजन अभी तक नहीं हुआ है । खेतों का बिना विभाजन कराये कोाई अजनबी व्यक्ति विभाजन नहीं करा सकता । अप्रार्थीगण जो विक्रय पत्र बतारहे है, वह कानून की नजर में प्रभावहीन, गैर कानूनी, अवैध व शुरू से ही शून्य व अवैध है । शुरू से ही शून्य दस्तावेज के संबंध में कोई अधिकार क्रेता को हासिल नहीं हो सकता । प्रार्थी मालसिंह का कब्जा काश्त शुरू से ही चला आ रहा है । इस तथ्य को अप्रार्थी पुष्पादेवी ने सिविल दावा में स्वीकार किया है । वास्तविकता तो यह है कि अप्रार्थीगणों का कोई कब्जा काश्त खेतों पर नहीं है । अप्रार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकार नहीं है । अप्रार्थीगण का आज तारीख में प्रतिदावा ही नहीं है, जब प्रतिदावा ही नहीं है तो अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है । वादगत खेतों के किसी भी भू भाग पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है । अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दुर्भावना पर आधारित है । खेतों की स्थिति में परिवर्तन करने का कोई अधिकार अप्रार्थीगण को नहीं है । अप्रार्थीगण गलत कार्य करने में यह वादगत खेतों के विशिष्ट भू भाग पर कब्जा करने में सफल हो जोयंगे तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी । अप्रार्थीगण ने अपने जबाब दावा में कोई प्रतिदावा प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी स्थिति में काउण्टरक्लेम कायह प्रार्थना पत्रपोषणीय नहीं है ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादगत भूमि के दो खातेदार थे । भंवरीबाई के कोई संतान नहीं होने के कारण मालसिंह को वादगत भूमि की वसीयत की थी । भंवरीदेवी के पति धूडसिंह के फौत होने के बाद वादगत भूमि भंवरीदेवी के नाम से दर्ज हुई थी । पुष्पादेवी ने एक वाद इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है । एक दावा एडीजे कोर्ट में भी गोदनामे का पेश किया था जो न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है । पुष्पादेवी ने की माता का शपथ पत्र पेश किया जिसमें अपनी पुत्री बताया गया जिस पर पुष्पादेवी के खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी । जब तक वादगत भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक भूमि का पजेशन नहीं ले सकते है । क्रेता विभाजन करवाने के बाद में पजेशन मांग सकता है । सिविल कोर्ट में दोनों पक्षों का पाबन्द किया हुआ है कि जब तक विभाजन नहीं हो तब तक प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को रोका जावें । इस हेतु प्रार्थी ने RRD 1989 पेज 317, RRD 1989 पेज 685, RRD 1989 पेज 794, RRD 1989 पेज 487, RLW 2004 पेज 609, RRD 1995 पेज 388, RRD 2016 पेज 797, RRD 2016 पेज 797 के कानूनी दृष्टांत पेश कर निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया मामला मेरे पक्ष में है, सुविधा का संतुलन भी मेरे पक्ष में है तथा अपूर्णनीय क्षति भी मुझे ही होगी ।

अप्रार्थी विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी अधिवक्ता ने जो कानूनी दृष्टांत पेश किये है वह सह खातेदार पर मदद नहीं करती है । भगवतीलाल रिकार्डेड खातेदार था रिकार्डेड खातेदार होने के कारण वह अपनी

Scanned by CamScanner

भूमि का विक्रय कर सकता था । मौके पर भूमि विवादित नहीं है । वादगत भूमि का विक्रय हो जोने के कारण उस भूमि में से प्रार्थी को हिस्सा पाने का कोई अधिकार नहीं है । विवादित भूमि भंवरीदेवी की वसीयत को लेकर है । प्रार्थी को तीन बिन्दुओं पर बहस करनी थी परन्तु उनके द्वारा उन बिन्दुओं पर बहस नहीं की है । भगवतीलाल को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वास्तविक रूप से भगवतीलाल की भूमि थी । कब्जे के संबंध में दिनांक 30.4.2019 के फोटो पेश है जब हमने उक्त भूमि का कब्जा लिया था । एफआईआर स्वीकार नहीं हुई है । आईपीसी की धारा 467,468 में हमारी जमानत हो चुकी है । इसका इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है । अप्रार्थी ने इस संबंध में RRD 1995 पेज 388–391, RRD 1989 Page 794, 685, 687, 594, 547, 549 RRD 1991 Page 198 का कानूनी दृष्टांत पेश किया ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व कानूनी दृष्टांतों पर मनन किया गया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 का मुकदमा नम्बर 36/2017 निर्णय दिनांक 20.2.2019, का अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 30.4.2019 के अनुसार भगवतीलाल पुत्र हेमराज पुरोहित निवासी भोजास ने खसरा नम्बर 19 तादादी 6.0900 हैक्टयर (गैमुरा 0.0700 हैक्टयर व बारानी 0.0200 हैक्टयर) खसरा नम्बर 223 तादादी 14.7800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 84 तादादी 1.9700 हैक्टयर बारानी, खसरा नम्बर 85 तादादी 6.5200 हैक्टयर बारानी, खसरा नम्बर 88 तादादी 6.5800 हैक्टयर (गैमुरा 0.2400 हैक्टयर व बारानी 6.3400 हैक्टयर) में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण को विक्रय किया है । जिस पर प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी लिखा है कि वादगत खेतों के संबंध में न्यायालय का स्टे का नोट लगता हुआ है फिर भी उपपंजीयक से मिली भगत करते हुये अप्रार्थी आपस में षडयंत्र करते हुए इन वादगत खेतों की भूमि का विक्रय पत्र अपने पक्ष में संपादित करवाया है । यदि उप पंजीयक द्वारा कोई षडयंत्र किया होता तो प्रार्थी को अधिकार था कि वह अवमानना प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करता परन्तु प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं किया है । प्रार्थी ने यह भी अवगत कराया है कि वादगत खेतों का वसीयत के संबंध में इन्तकाल की कार्यवाही तहसीलदार श्री डूँगरगढ में विचाराधीन है परन्तु प्रार्थी ने इस बाबत किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रार्थना पत्र में संलग्न नहीं किया है न ही विरासत संबंधी कोई दस्तावेज प्रार्थना पत्र में उपलब्ध है । प्रार्थी ने अपनी बहस में यह भी बताया है कि अप्रार्थी को काउण्टर क्लेम लाने का अधिकार नहीं है क्यों अप्रार्थी ने अपने वाद में काउण्टर क्लेम पेश नहीं किया है । इस संबंध में प्रार्थी की तरफ से कोई रूलिंग पेश नहीं की गई है ।

प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार होने के कारण अप्रार्थी के पक्ष में है । सुविधा का संतुलन – अप्रार्थी के रिकार्डेड खातेदार होने के कारण वह अपनी ईच्छा के अनुसार अपनी भूमि का उपयोग उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में है । अपूर्णनीय क्षति – अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है रिकार्डेड खातेदार होने के कारण अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी को न होकर अप्रार्थी का ही होगी ।

Scanned by CamScanner

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में होने के कारण तथा अप्रार्थी वादगत भूमि का रिकार्डेड खातेदार होने के कारण दिनांक 17.6.2019 को जारी अंतरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । अप्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राथी संख्या 1 को जरिये का अंतरिम निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 19 तादादी 6.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 223 तादादी 14.78 हैक्टयर, खसरा नम्बर 84 तादादी 1.97 हैक्टयर, खसरा नम्बर 85 तादादी 6.52 हैक्टयर व खसरा नम्बर 88 तादादी 6.58 हैक्टयर वाके रोही भोजास तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाये रखें ।

पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय दिनांक 25.10.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2019.11.15 16:34:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: